सिविल प्रकीर्ण

माननीय न्यायाधीश आर.एस. नरूला के समक्ष

एमएस डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

इसके कार्यकर्ता, मजदूर एकता समिति और अन्य द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये - उत्तरदाता

1968 की सिविल रिट संख्या 323

अप्रैल 30, 1968

औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का XIV)—एस.एस. 2(के) और 11--सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम V)-आदेश 14, नियम 2-एक औद्योगिक अधिकरण के समक्ष उठाए गए औद्योगिक विवाद के अस्तित्व के संबंध में आपत्ति- विवाद्यक तैयार किया गया-ऐसा विवाद्यक -क्या इसे प्रारंभिक माना जाना चाहिए -अधिकरण का कुछ विवाद्यको को प्रारंभिक मानकर मुकदमा चलाया जाना - ऐसा आदेश - क्या समीक्षा की जा सकती है - भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 226 और 227 - अधिकरण का किसी विशेष पक्ष पर किसी विवाद्यक का भार डालना- रिट की याचिका - क्या अनुरक्षणीय योग्य हैं ।

अभिनिर्धारित, कि जब नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक विवाद के अस्तित्व पर आपत्ति उठाई जाती है, और उस संबंध में अधिकरण द्वारा एक विवाद्यक तैयार किया जाता है, तो यह बिल्कुल उचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है जहाँ किसी विवाद्यक को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में तय किया जाना चाहिए ताकि अधिकरण और सभी संबंधित लोगों का समय अन्य विवाद्यको पर साक्ष्य दर्ज करने में बर्बाद न हो, जिन पर अधिकरण अंततः कोई निर्णय देने में असमर्थ हो जैसा कि मुकदमे के अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपर वह अध्ययन कर सके क्योंकि अधिनियम की

धारा 2 के खंड (के) के अर्थ के तहत उसके सामने कोई औद्योगिक विवाद ही नहीं था।

(पैरा 24)

अभिनिर्धारित, कि अधिकरण के पास अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र है, जिसमें कुछ विवाद्यको को प्रारंभिक मानने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि अधिकरण की समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने पर कोई रोक नहीं है कि वह सभी विवाद्यको पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं, या उन्हें एक साथ समूहित करें या न्याय के हित में टुकड़ों-टुकड़ों में सुनवाई का सहारा लें। ऐसा कोई कानून नहीं है जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को इस संबंध में समय-समय पर सलाह के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में अपना विचार बदलने से रोकता है।

(पैरा 27 & 28)

अभिनिर्धारित, कि संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत कोई भी याचिका केवल किसी विवाद्यक का भार डालने के लिए सुनवाई योग्य नहीं है, भले ही ओनस प्रोबांडी लगाने के मामले में अधिकरण का दृष्टिकोण कितना भी गलत क्यों न हो। अंतिम विश्लेषण में साक्ष्य के भार का मतलब यह है कि साक्ष्य पेश करने का अधिकार किसके पास है। किसी विशेष पक्ष पर किसी विवाद्यक की जिम्मेदारी डालने का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका में भी उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का मामला नहीं है। अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस संबंध में अधिक व्यापक नहीं है। अधिकरण के पास किसी विवाद्यक का भार दोनों पक्षों में से किसी एक पर डालने का अधिकार क्षेत्र है, जैसा की अधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझता है।

(पैरा 21)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें औद्योगिक अधिकरण द्वारा समय-समय पर आदेश पारित किये गये, विशेष रूप

से 23 अगस्त, 1967, 30 सितम्बर, 1967, 29 नवम्बर, 1967 और 11 जनवरी, 1968 के आदेशों को रद्द करने के लिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आनंद प्रकाश और आर.के. छिब्बर।
आर.एस.मित्तल, अधिवक्ता, उत्तरदाता संख्या 1 के लिए।
अन्य उत्तरदाताओं के लिए- निमो।

निर्णय

न्यायाधीश आर.एस. नरूला

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका में, मेसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चरखी दादरी (जिला महेंद्रगढ़), जिसे इसके बाद नियोजक के रूप में संदर्भित है, ने प्रतिवादी संख्या 5, श्री के एल गोसाईं, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, के आदेशों पर आपत्ति जताई है, (i) अपने आदेश, दिनांक 11 जनवरी, 1968 द्वारा सीमेंट फैक्ट्री-मेन्स यूनियन (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा रखी गई अतिरिक्त मांगों पर विचार करना; (ii) 23 अगस्त 1967 को किसी विवाद्यक का भार बदलने से इनकार करना; और (iii) 29 नवंबर, 1967 को अपने पहले के आदेश की समीक्षा करते हुए विवाद्यक संख्या 1 से 4 को प्रारंभिक विवाद्यको के रूप में निपटाने का निर्देश दिया और सभी विवाद्यको को एक साथ निपटाने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए अन्य बिंदु सहायक चरित्र के हैं। याचिका दायर करने को आधार देने वाले तथ्य ये हैं।

(2) अधिसूचना, दिनांक 27 जनवरी 1967 (अनुलग्नक '1') द्वारा, हरियाणा के राज्यपाल ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 10(1)(डी) के तहत संदर्भित किया, और 'औद्योगिक' विवाद, जो एक ओर नियोजक और दूसरी ओर उसके श्रमिकों के बीच मौजूद था, को उक्त अधिनियम की धारा 7-ए के तहत गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा में भेजा गया। अधिकरण को भेजे गए मामलों को अधिसूचना में निम्नलिखित शब्दों में निर्दिष्ट किया गया था: -

(1) क्या सभी कामगार (कंपनी द्वारा सीधे या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित जिन्होंने कंपनी के साथ एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। यदि हाँ, तो किस विवरण सहित एवं किस दिनांक से?

(2) क्या श्री भीम सिंह को हॉपर-मैन के रूप में नामित किया जाना चाहिए और तदनुसार भुगतान किया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो किस विवरण सहित एवं किस दिनांक से ?

(3) क्या निम्नलिखित कर्मचारियों को स्थायी किया जाना चाहिए? यदि हाँ, तो किस विवरण सहित एवं किस दिनांक से ?

(1) फूल सिंह, लोहकर।

(2) कालिया का पुत्र सुरजा, सहायक।

(3) लाल चंद, पुत्र श्यो राम, हेल्पर।

(4) क्या धूल भरी जगह पर काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को सिर ढकना का कपड़ा देना चाहिए? यदि हां, तो किस विवरण के साथ?

(3) अधिसूचना की प्रतियां नियोजक और महासचिव/अध्यक्ष, मजदूर एकता समिति, चरखी दादरी (बाद में समिति के रूप में संदर्भित) को पृष्ठांकित की गईं, क्योंकि रेफ्रेन्स समिति के अनुरोध पर किया गया था। अधिकरण के समक्ष, श्रमिकों ने अपनी दावा याचिका, दिनांक 14 मार्च, 1967 (अनुलग्नक II) दायर की, जिसके जवाब में नियोजक ने 11 अप्रैल, 1967 (अनुलग्नक III) को एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें निम्नलिखित दो सामान्य प्रारंभिक आपत्तियां ली गईं -

(1) संघ के दावे का विवरण बिल्कुल अस्पष्ट है और इसमें भौतिक विवरणों का अभाव है। यूनियन को अपनी मांगों के लिए पर्याप्त विवरण और कारण देने की आवश्यकता हो सकती है ताकि परीक्षण के दौरान प्रबंधन को आश्चर्य न हो। यदि समिति द्वारा ऐसा विवरण प्रदान किया जाता है तो प्रबंधन के पास पूर्ण उत्तर दाखिल करने का अधिकार सुरक्षित है; और

(2) मजदूर एकता समिति, जिसके रेफ़ेन्स पर वर्तमान संदर्भ दिया गया है, के पास औद्योगिक विवाद उठाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास न तो कंपनी के श्रमिकों के लिए प्रतिनिधि क्षमता है और न ही वे श्रमिक जिनके लिए राहत की मांग की गई है, जिसका वर्तमान संदर्भ इसके सदस्यों का है। इसलिए, यह संदर्भ सरकार की शक्तियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस माननीय अधिकरण के पास इस पर निर्णय देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(4) इसी प्रकार, एक वर्ष से अधिक सेवा कर चुके कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने के दावे के जवाब में कहा गया कि कर्मचारियों के आरोप बिल्कुल अस्पष्ट थे, क्योंकि समिति ने कर्मचारियों के नाम और विवरण नहीं दिए थे जैसा कि जिन व्यक्तियों के लिए राहत मांगी गई थी। नियोजक ने कहा कि इसलिए, उसके संबंध में पूर्ण उत्तर देना संभव नहीं है। स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं मांगने वाले श्रमिकों के दावे की तीसरी वस्तु के आधार पर नियोजक द्वारा उत्तर में 'निम्नलिखित श्रमिकों' को भी पूर्वव्यापी प्रभाव से दिया जा रहा है (और इसके तहत दावा याचिका में किसी भी श्रमिक की कोई सूची नहीं दी गई थी) और यह कहा गया था कि संबंधित व्यक्तियों को आकस्मिक प्रकृति के काम करने के लिए आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें स्थायी आधार पर नहीं लगाया गया था। 14 मार्च 1967 की उनकी याचिका में शामिल श्रमिकों की अंतिम प्रार्थना के संबंध में, नियोजक की स्थिति यह थी कि आइटम (i) के तहत दावा संदर्भ के दायरे से परे था, समिति ने ठेकेदार के कामगार ओर से कोई दावा नहीं किया था और समिति ने बाकी कामगारों के संबंध में भी कोई विवरण नहीं दिया था। 10 मई, 1967 को, नियोजक ने एक आवेदन (अनुलग्नक IV) प्रस्तुत किया, जिसमें अधिकरण के साथ दायर दावे की कथित अस्पष्टता के बारे में अपने लिखित बयान में दलीलों का जिक्र किया गया था और उन मामलों का विवरण दिया गया था जिनके संबंध में दावा वांछित था और जिन्हें विस्तृत विवरण की आवश्यकता थी और अंततः आवेदन में उल्लिखित मामलों के संबंध में श्रमिक संघों को पर्याप्त और बेहतर विवरण दाखिल करने का निर्देश देने की प्रार्थना की। 24 मई 1967 को अधिकरण, ने पक्षों की दलीलों और नियोजक के आवेदन पर विचार करने के

बाद, एक आदेश पारित किया, जिसमें दावा प्रस्तुत करने वाले श्रमिकों को निश्चित तिथि तक एक निश्चित उत्तर (प्रतिकृति के रूप में) दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अंततः 19 जुलाई, 1967 को समिति ने एक प्रत्युत्तर (अनुलग्नक V) दायर किया, जिसमें आम तौर पर नियोजक के आरोपों का विवरण दिया गया था, बिना इस दावे का कोई बेहतर या अधिक विवरण प्रस्तुत किए।

(5) इस बीच, सीमेंट उद्योग कर्मचारी संघ द्वारा अधिकरण के समक्ष कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन किया गया था। नियोजक के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों के अधीन, 23 अगस्त, 1967 के अधिकरण के आदेश द्वारा उस आवेदन की अनुमति दी गई थी। उसी दिन, अधिकरण ने आठ विवाद्यको को तय कर दिया जिनमें से पहले चार को नीचे उद्धृत किया गया है:

> (1) क्या यूनियनों द्वारा दायर दावों के बयान अस्पष्ट हैं और यदि हां, तो वर्तमान मामले पर इसका क्या प्रभाव है?
> (2) क्या मजदूर एकता समिति के पास उस औद्योगिक विवाद को उठाने का कोई अधिस्थति नहीं है जो इस संदर्भ की विषय-वस्तु है?
> (3) क्या ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में विवाद नहीं उठाया जा सकता है?
> (4) 1961 के संदर्भ संख्या 45 में दिए गए निर्णय का, यदि कोई हो, वर्तमान मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

(6) नियोजक के अधिवक्ता ने विवाद्यक संख्या 2 की जिम्मेदारी उसके मुवक्किलों पर डालने पर आपत्ति जताई। अधिकरण द्वारा आपत्ति को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया-

> "डॉ. आनंद प्रकाश विवाद्यक संख्या 2 और 3 के दायित्व पर आपत्ति करते हैं, लेकिन मुझे दायित्व को बदलने का कोई आधार नहीं मिलता। संदर्भ के आइटम संख्या 1 में उठाया गया विवाद

स्वयं एक औद्योगिक विवाद है और यह कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। मेरी राय में इसके लिए किसी विशेष संख्या में लोगों द्वारा प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है। संघ के अध्यक्ष, जिनके कहने पर यह मामला संदर्भित किया गया है, ने मुझे सूचित किया कि आधे कर्मचारी उनके संघ के सदस्य हैं। डॉ. आनंद प्रकाश उनका कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उक्त संघ के सदस्य कितने कर्मचारी हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसे श्रमिकों की सही संख्या नहीं पता है क्योंकि उनके पास उक्त संघ के रजिस्टर तक पहुंच नहीं है। वह कहते हैं, प्रबंधन के गठन में, उक्त यूनियन में बहुत कम सदस्य हैं।"

(7) मेरे समक्ष, यह पहला आदेश है जिस पर नियोजक ने आपत्ति जताई है।

(8) उसी तारीख के अपने आदेश से, अधिकरण ने पार्टियों को 13 सितंबर, 1967 को पहले चार विवाद्यको (ऊपर पुन: प्रस्तुत) पर अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का निर्देश दिया।

(9) 2 सितंबर, 1967 को, नियोजक ने एक आवेदन (अनुलग्नक VI) प्रस्तुत किया, बेहतर विवरण के लिए अपने पिछले आवेदन दिनांकित 10 मई, 1967 के निपटान के लिए और पहले विवाद्यक नंबर 1 के निपटान के लिए , " 23 अगस्त 1967 को तय किए गए अन्य विवाद्यको पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यानी विवाद्यक नंबर 1 को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करना। 2 सितंबर, 1967 को नियोजक के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समिति द्वारा मामले को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया, जब तक कि मामला 29 नवंबर, 1967 को अधिकरण के सामने दोबारा नहीं आया। श्रमिकों की ओर से, कोई जवाब नियोक्ता के आवेदन पर दायर नहीं किया गया था, लेकिन समिति के अध्यक्ष ने इस आशय का एक बयान दिया कि ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले पुरुषों की वेतन वृद्धि का दावा छोड़ दिया गया था। विषय में सीधे तौर पर नियोजित श्रमिकों के नाम जिनके लिए समिति ने वेतन वृद्धि का दावा किया था, समिति के अध्यक्ष ने कहा कि "प्रबंधन

को उनके रिकॉर्ड मिल गए हैं और वे उनसे उन श्रमिकों का पता लगा सकते हैं जिन्होंने उनके अधीन एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।" विवाद का आइटम नंबर 1 श्री वाई.डी.शर्मा द्वारा छोड़ दिया गया था। इसके बाद, नियोजक के विद्वान अधिवक्ता डॉ. आनंद प्रकाश ने 29 नवंबर, 1967 को अधिकरण के समक्ष निम्नलिखित बयान दिया-

> "जहां तक विवाद की मद संख्या 4 का संबंध है, मैं बेहतर विवरण के लिए दबाव नहीं डालता।"

(10) याद रखें कि मद संख्या 4 धूल भरी जगह पर काम करने के लिए सिर ढकने के लिए कपड़े की आपूर्ति के लिए श्रमिकों के दावे से संबंधित है। इसके बाद, अधिकरण ने बेहतर विवरण के लिए नियोजक के आवेदन और उसी के निर्णय के लिए बाद के आवेदन का निपटान अपने आदेश (29 नवंबर, 1967) द्वारा इस आशय से किया कि प्रतिनिधि के बयानों को ध्यान में रखते हुए- पार्टियों के लिए कोई और आदेश पारित करना अनावश्यक था। इसलिए, नियोजक के उक्त आवेदनों का "उन शर्तों पर निपटारा" कर दिया गया। अधिकरण द्वारा उसी दिन पारित दूसरा आदेश इस प्रकार है-

> "मेरे दिनांक 23 अगस्त, 1967 के आदेश में। मैंने पक्षों को केवल विवाद्यक संख्या 1 से 4 पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। वह साक्ष्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इस बीच प्रबंधन ने कुछ आवेदन दायर किया था और इसमें लगभग तीन महीने बर्बाद हो गए हैं उसका निपटारा करने में। पक्षकारों के प्रतिनिधि मानते हैं कि विवाद्यक 1 से 3 पर साक्ष्य आवश्यक है और मुझे लगता है कि इस मामले में सभी विवाद्यको पर एक साथ साक्ष्य पेश किया जाए तो यह अधिक सुविधाजनक होगा। मामला पुराना हो रहा है और कोई उपयोग नहीं होगा इन सबूतों को विभाजित करने में और पार्टियों को दो अलग-अलग चरणों में इसका नेतृत्व करने के लिए कहने से । पार्टियों को 14 दिसंबर, 1967 को सभी विवाद्यको पर अपने साक्ष्य पेश करने दें।"

(11) यह दूसरा आदेश है जिसका नियोजक द्वारा इस याचिका में विरोध किया जा रहा है।

(12) 5/6 दिसंबर, 1967 को, नियोजक ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 12 के तहत प्रकटीकरण के लिए एक आवेदन (अनुलग्नक IX) प्रस्तुत किया था। प्रकटीकरण के लिए सामान्य अनुरोध के बाद आवेदन में प्रार्थना इन शब्दों में थी-

> "उक्त सचिव के अध्यक्ष को विशेष रूप से निम्नलिखित सभी दस्तावेजों की शपथ पर प्रकटीकरण करने की आवश्यकता हो सकती है और यदि वे उसके कब्जे में नहीं हैं तो यह बताएं कि क्या वे मौजूद हैं और यदि हां तो वे किसकी हिरासत और कब्जे में हैं-
>
> (ए) मजदूर एकता समिति की शुरुआत से लेकर संदर्भ की तारीख तक का सदस्यता रजिस्टर, ऐसे सदस्यता फॉर्म या ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जो श्रमिक एकता समिति के सदस्यों के रूप में नामांकित होने के लिए विधिवत आवेदन करते हुए सदस्यता रजिस्टर में दर्ज हैं।
> (बी) मजदूर एकता समिति का गठन।
> (सी) मजदूर एकता समिति की खाता पुस्तकें, विशेष रूप से लेजर और कैश बुक, कथित सदस्यों द्वारा संदर्भ की तारीख तक महीने-दर-महीने भुगतान की गई सदस्यता को दर्शाती हैं।
> (डी) औद्योगिक विवाद उठाने का अपना अधिकार साबित करने के लिए उनके पास मौजूद कोई अन्य दस्तावेज।"

(13) 14 दिसंबर 1967 को, समिति के अध्यक्ष ने प्रकटीकरण के लिए नियोजक के आवेदन में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन दिया और मामले को उस उद्देश्य के लिए स्थगित कर दिया गया।

(14) 26 दिसंबर, 1967 को, नियोजक ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 18(2) और की धारा 151 के तहत प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं को कुछ दस्तावेज पेश करने का निर्देश देने और उनका निरीक्षण करने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। 5 दिसंबर, 1967 को प्रकटीकरण के लिए आवेदन पर, 11 जनवरी, 1968 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राज कुमार (समिति के प्रतिनिधि) अपने साथ लाए थे, (i) सदस्यता रजिस्टर, (ii) मजदूर एकता समिति का संविधान, और (iii) प्रकटीकरण के लिए नियोजक के आवेदन के पैरा 3 के खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित खाता पुस्तकें (जो इस संकलन के पिछले पैराग्राफ में आइटम पहले ही पुन: प्रस्तुत किए जा चुके हैं)। राज कुमार ने तब कहा था कि उनके संघ ने उन लोगों से कोई सदस्यता फॉर्म नहीं भरवाया जो सदस्य बनना चाहते थे। प्रकटीकरण के लिए के आवेदन पर ने अधिकरण द्वारा पारित यह एकमात्र आदेश था। न तो विशेष रूप से प्रकटीकरण से इनकार किया गया था और न ही पारित कानून के अनुसार प्रकटीकरण का कोई आदेश दिया गया था।

(15) उसी दिन, यानी 11 जनवरी, 1968 को, अधिकरण ने निरीक्षण के लिए नियोजक के 26 दिसंबर, 1967 के आवेदन का निपटारा इस आधार पर कर दिया कि नियोजक ने निरीक्षण के लिए संघ को कोई नोटिस नहीं दिया था। आवेदन में उल्लिखित रिकॉर्ड और इस तरह के नोटिस के अभाव में, आदेश 11, नियम 18(2) के तहत एक आवेदन, स्पष्ट रूप से, समय से पहले था और तदनुसार इसे खारिज कर दिया गया था। फिर मामले को पक्षों के साक्ष्य के लिए 1 फरवरी, 1968 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उसी क्रम में, यह उल्लेख किया गया कि दामिया दादरी सीमेंट फैक्ट्रीमेन यूनियन ने एक पक्ष के रूप में आरोपित होने के लिए एक आवेदन किया था। यद्यपि उक्त यूनियन शुरुआती चरण में ही मामले से पीछे हट गई थी, तो अधिकरण ने उक्त यूनियन के सचिव श्री रमेश चंद्र के बयान को इस आशय से लिया कि वे कार्यवाही से हट गए थे क्योंकि उनका मांग नोटिस तब निपटान के लिए लंबित था। ; वे फिर से शामिल होना चाहते थे क्योंकि सुलह अधिक़ारी ने इस आधार पर एक संदर्भ बनाने के लिए सहमत नहीं थे कि एक और संदर्भ पहले से ही लंबित था, और निर्देश दिया कि उक्त संघ को एक पार्टी के रूप में जोड़ा जाए। उक्त यूनियन

को पक्षकार बनाए जाने के खिलाफ नियोजक के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को अधिकरण ने निम्न टिप्पणियों के साथ निरस्त कर दिया।

> "इन परिस्थितियों में डॉ. आनंद प्रकाश की उक्त आपत्ति मुझे उचित नहीं लगती। यदि यह मान भी लिया जाए कि एक समान मांग विचाराधीन है और अभी भी खारिज नहीं की गई है, तो यह बेहतर है कि उक्त मांग इस संदर्भ में तय की गई है।"

(16) पक्षों के साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि, यानी 1 फरवरी, 1968 आने से पहले, नियोजक ने 29 जनवरी, 1968 को इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की। याचिका स्वीकार करते समय, की सूचना स्थगन हेतु आवेदन जारी करने हेतु निर्देशित किया गया मोशन बेंच द्वारा। उत्तरदाताओं को नोटिस की तामील के बाद, जब 5 फरवरी, 1968 को स्टे का मामला न्यायाधीश टेक चंद के समक्ष आया, तो यह निर्देश दिया गया कि औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा के समक्ष के आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी जाए और रिट याचिका को सुनवाई के लिए मार्च, 1968 का तीसरा सप्ताह में रखी जाए।

(17) रिट याचिका का प्रतिवादी संख्या 1 यानी समिति की ओर से विरोध किया गया है। ये कार्यवाही अन्य उत्तरदाताओं के लिए एक पक्षीय रही है, क्योंकि वे तामिली के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहे। व्यावहारिक रूप से, इस रिट याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक सभी भौतिक तथ्य समिति के रिटर्न में निर्विवाद रहे हैं।

(18) जहां तक नियोजक की पहली प्रार्थना का सवाल है, जिसे **बर्मा-शेल ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम बंगाल ऑयल एंड पेट्रोल वर्कर्स यूनियन (1961 (2) एल-एल.जे. 124)**, में सर्वोत्तम न्यायालय के फैसले के आधार पर उनके विद्वान अधिवक्ता डॉ. आनंद प्रकाश ने मेरे समक्ष रखा था, समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. मित्तल ने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था अधिकरण के पास सीमेंट फैक्ट्री मेन्स यूनियन (प्रतिवादी नंबर 2) के डिमांड नोटिस में शामिल

किसी भी दावे पर विचार करने या निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो पहले से ही सरकार द्वारा किए गए संदर्भ का विषय-वस्तु नहीं है। इस आशय का एक निर्देश अधिकरण को जारी किया जाएगा। इस आरक्षण के अधीन, नियोजक ने अधिकरण के समक्ष विपरीत पक्षों की सूची में दूसरे प्रतिवादी के नाम को जारी रखने पर मेरे समक्ष कोई विशेष आपत्ति नहीं उठाई।

(19) डॉ. आनंद प्रकाश ने प्रस्तुत किया कि किसी विवाद्यक को साबित करने का भार उस पक्ष पर डालने के बारे में साक्ष्य का सामान्य नियम है जिसके पास उस विवाद्यक को साबित करने या अस्वीकृत करने के लिए प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और इस नियम का अधिकरण को पालन करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह था कि समिति का अधिकार क्षेत्र नियोजक के श्रमिकों की सदस्यता पर निर्भर करता है जो प्रासंगिक तिथि पर समिति के सदस्य रहे होंगे और इस तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य केवल समिति के पास ही उपलब्ध हो सकते हैं। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियोजक केवल उन साक्ष्यों का खंडन करने का प्रयास कर सकता है जो समिति के नेतृत्व में हो सकते हैं लेकिन नियोजक के लिए विवाद्यक संख्या 2 पर सकारात्मक साक्ष्य देना असंभव है। अधिवक्ता ने **कंदन टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम औद्योगिक अधिकरण आदि (1949 एल.एल.जे. 875)**और **नेलन कॉटन मिल्स, तिरुनेलवेल्ला बनाम श्रम न्यायालय, मदुरै, और अन्य (1965 (1) एल.एल.जे. 95)** में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया और तर्क दिया कि समिति को "इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करनी थी, अर्थात्, नियोजक के कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या" ने विवाद में राहत का दावा करने में भाग लिया (हवाला मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय नेल्लई कॉटन मिल्स में से है)। फिर उन्होंने न्यायाधीश हेगड़े, के निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया, जो विद्वान न्यायाधीश ने **पी. एम. मुरुगप्पा मुदल्लर रथिना मुदल्लर एंड संस बनाम राजू मुदल्लर (पी) और अन्य(1965 (1) एल.एल.जे. 489)** मामले में मैसूर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के लिए लिखा था :-

> "इस तथ्य को स्थापित करना उस पक्ष पर निर्भर है जो यह तर्क देता है कि विवाद एक 'औद्योगिक विवाद' है।"

(20) **श्री कृपा प्रिंटिंग प्रेस बनाम श्रम न्यायालय और अन्य (1960 (1) एल.एल.जे. 53.)** में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित हुआ की "जब संदर्भ की वैधता एकल काम करने वाले व्यक्ति सम्बंधित हो तो को इस आधार पर चुनौती देना कि जो संदर्भित किया गया है वह केवल एक व्यक्तिगत विवाद है और 'औद्योगिक विवाद' नहीं है, यह स्थापित करना नियोजक का काम नहीं है कि विवाद 'औद्योगिक विवाद' नहीं है। यह कर्मकार का काम है की दिखाएँ कि उसका अभियोग उसके संघ या उसके वर्ग के कई श्रमिकों द्वारा प्रायोजित किया गया है।" यह एक ऐसा मामला था जहां विवाद एक व्यक्तिगत कर्मकार के अभियोग को प्रायोजित करने से संबंधित था।

(21) अधिवक्ता ने **खादी ग्रामोद्योग भवन वर्कर्स यूनियन बनाम ई. कृष्ण मूर्ति और अन्य(ए.आई.आर. 1962 पी.बी. 354.)** में न्यायाधीश शमशेर बहादुर के निर्णय और अपीलीय निर्णय द्वारा न्यायाधीश महाजन और न्यायाधीश एस. के. कपूर, का विद्वान एकल न्यायाधीश **खादी ग्रामोद्योग भवन वर्कर्स यूनियन बनाम श्री ई. कृष्णमूर्ति और अन्य (1965 पी.एल.आर. 816.)** के आदेश को बरकरार रखने हवाला दिया। मैंने तर्कों पर ध्यान दिया है इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ याचिकाकर्ता के प्रति निष्पक्षता के लिए उनके द्वारा उद्धृत अधिकारियों की भी। हालाँकि, इस मामले में जाने की पूरी तरह से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी दृढ़ता से राय है कि संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत कोई भी याचिका केवल किसी विवाद्यक का भार उठाने के लिए सुनवाई योग्य नहीं है, चाहे वह कितना ही गलत क्यों न हो। ओनस प्रो-बंदी की ज़िम्मेदारी रखने के मामले में एक अधिकरण का दृष्टिकोण हो सकता है। अंतिम विश्लेषण में साक्ष्य के भार का मतलब यह है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है। किसी विवाद्यक की जिम्मेदारी किसी विशेष पक्ष पर डालने का आदेश इस न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका में भी हस्तक्षेप करने का शायद ही कोई मामला है। अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस संबंध में अधिक व्यापक नहीं है। न ही यह ऐसा मामला है जिसके लिए अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार

का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकरण के पास विवाद के विवाद्यको (विवाद्यक नंबर 2) का भार दोनों पक्षों में से किसी एक पर डालने का अधिकार क्षेत्र था, जैसा कि अधिकरण ने मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझा था और मुझे खेद है कि मैं इन कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने का अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ ।

(22) नियोजक की तीसरी शिकायत अधिकरण के आदेश से संबंधित है जिसमें सभी विवाद्यको की एक साथ सुनवाई करने और शेष विवाद्यको की सुनवाई शुरू करने से पहले विवाद्यक संख्या 1 से 4 पर निर्णय देने के अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। डॉ. आनंद प्रकाश ने पी. एम. मुरुगप्पा मुदल्लर एंड संस (सुप्रा) के मामले में मैसूर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया कि "यदि श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को नियोजक द्वारा चुनौती दी जाती है इस आधार पर कि विवाद एक व्यक्तिगत विवाद है, तो श्रम न्यायालय को पहले इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या विवाद एक 'औद्योगिक विवाद' है या नहीं; औद्योगिक विवाद का अस्तित्व एक न्यायिक तथ्य है; जब तक कि श्रम न्यायालय यह नहीं पाता की विवाद एक 'औद्योगिक विवाद' है, तब तक वह संदर्भित विवाद को निर्धारित करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है।"

(23) इसके बाद **करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन बनाम करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों और अन्य (आई.एल.आर. (1967) 1 पी.बी. और हरियाणा 666=1967 पी.एल.आर. 160)** में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय (मेहर सिंह, सी.जे. और महाजन, जे.) का संदर्भ दिया गया, जहां अभिनिर्धारित हुआ कि औद्योगिक विवादों के तहत एक अधिकरण का गठन किया गया था, जो कि केवल 'औद्योगिक विवाद' पर विचार कर सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (के) में परिभाषित है और यदि अधिकरण को जो संदर्भित किया गया है वह 'औद्योगिक विवाद' नहीं है, तो अधिकरण के पास इसे निर्धारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। उस निर्णय के दौरान, न्यायाधीश महाजन, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय लिखा था, ने इस प्रकार कहा-

"इसलिए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले कि कोई अधिकरण किसी कथित विवाद को गुण-दोष के आधार पर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े, उसे यह निर्धारित करना होगा कि यदि कोई आपत्ति उठाई गई है, तो क्या कोई औद्योगिक विवाद है या नहीं। यदि अधिकरण व्यक्तिगत विवाद के मामले में यह निर्धारित कर सकता है कि कोई औद्योगिक विवाद नहीं है, हमें कोई कारण नहीं दिखता कि अधिकरण सामूहिक विवाद के मामले में भी यह निर्धारित क्यों नहीं कर सकता कि वास्तव में कोई विवाद नहीं है..."

(24) इस बिंदु पर प्राधिकारी वर्ग का गुणा करना अनावश्यक है। इसका कारण यह है कि जब किसी औद्योगिक विवाद के अस्तित्व पर नियोजक द्वारा आपत्ति उठाई जाती है, और उस संबंध में अधिकरण द्वारा एक विवाद्यक तय किया जाता है, तो यह बिल्कुल उचित और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है जहाँ किसी विवाद्यक को प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में तय किया जाना चाहिए ताकि अधिकरण और सभी संबंधित लोगों का समय अन्य विवाद्यको पर साक्ष्य दर्ज करने में बर्बाद न हो, जिन पर अधिकरण अंततः कोई निर्णय देने में असमर्थ हो जैसा कि मुकदमे के अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपर वह अध्ययन कर सके क्योंकि अधिनियम की धारा 2 के खंड (के) के अर्थ के तहत उसके सामने कोई औद्योगिक विवाद ही नहीं था।पी. एम. मुरुगप्पा मुदल्लर रथिना मुदल्लर एंड संस मामले में मैसूर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय में न्यायाधीश हेगड़े, की टिप्पणियाँ, और करनाल डिस्टिलरी कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन मामला में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय में न्यायाधीश महाजन, की टिप्पणियाँ इस संबंध में प्रासंगिक है। हालाँकि, मेरे समक्ष आए मामले में, मुझे पता चला कि नियोजक के लिखित बयान में अधिनियम की धारा 2 (के) के अर्थ के भीतर पार्टियों के बीच कोई औद्योगिक विवाद नहीं होने के बारे में कोई विशेष दलील नहीं दी गई थी। यही कारण है कि अधिकरण द्वारा तय किए गए विवाद्यको में भी उस बिंदु को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। वास्तव में, विवाद्यक संख्या 2 के अध्ययन पर यह है कि नियोजक ने एक औद्योगिक विवाद के अस्तित्व को स्वीकार किया था और नियोजक जिस पर सवाल उठा रहा था वह सिर्फ़ समिति के अधिस्थति अधिकार को है।

(25) जहां तक अंक क्रमांक 3 का प्रश्न है तो वह अनावश्यक हो गया है समिति द्वारा दावा के त्यागपत्र देने के विशिष्ट कथन को देखते हुए इस ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में। चौथे अंक के फ्रेम से पता चलता है कि उस विवाद्यक के निर्धारण पर पूरे संदर्भ का निपटान संभवतः नहीं किया जा सकता था।

(26) इन परिस्थितियों में मुझे किसी भी विवाद्यक को प्रारंभिक मानने से इनकार करने वाले अधिकरण के आदेश में कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं दिखती। पहले चार विवाद्यको में से, जिन्हें एक बार पार्टियों के बीच विवाद के गुण-दोष पर विचार करने से पहले परीक्षण करने हेतु निर्देश दिया गया था, पहला विवाद्यक केवल दावों की कथित अस्पष्टता से संबंधित था। अधिकरण द्वारा पार्टियों के पूरक बयान दर्ज करके और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश देकर आपत्ति का निपटारा कर दिया गया था। उन आदेशों का क्या असर हुआ और समिति द्वारा प्रतिकृति दाखिल करने या न दाखिल करने का निर्णय अधिकरण को ही करना होगा।

(27) विवाद्यक संख्या 1 से 4 को प्रारंभिक मानने का निर्देश देने वाले अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने के अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ आपत्ति के संबंध में, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्णय लेने में कोई रोक नहीं है और अधिकरण की समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने पर कोई रोक नहीं है कि वह सभी विवाद्यको पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ेगा या नहीं, या उन्हें एक साथ समूहित करें या न्याय के हित में टुकड़ों-टुकड़ों में सुनवाई का सहारा लें। डॉ. आनंद प्रकाश ने 'हेल्सबरी लॉज़ ऑफ इंग्लैंड' (खंड 11) के तीसरे संस्करण के पैराग्राफ 116 (पेज 59 पर) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया-

> "एक अवर अधिकरण का क्षेत्राधिकार कुछ पूर्व शर्त (जैसे नोटिस) की पूर्ति या कुछ विशेष तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर हो सकता है। ऐसा तथ्य वास्तविक मामले के लिए संपार्श्विक है जिसे अवर अधिकरण को परीक्षण करना है, और निर्धारित करना हैं की यह अस्तित्व में है या नहीं,

तार्किक रूप से और अस्थायी रूप से वास्तविक प्रश्न के निर्धारण से पहले ही अधिकरण को इसका परीक्षण करना होगा। सीमित अधिकरण द्वारा किसी जांच के निरीक्षण पर अवर अधिकरण को स्वयं ही संपार्श्विक तथ्य के बारे में निर्णय लेना होगा।जब उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जाती है, तब अधिकरण को अपना मन बनाना होता है कि वह कार्य करेगा या नहीं, और इसके लिए किसी निर्णय पर पहुंचना होगा कि उसका क्षेत्राधिकार है या नहीं।"

(28) उपरोक्त उद्धृत परिच्छेद वास्तव में क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों से संबंधित कुछ विवाद्यको को प्रारंभिक तौर पर आज़माने की वांछनीयता से संबंधित है। यह एक ऐसा मामला है जिसका में पहले ही अध्ययन कर चुका हूँ । कोई भी ऐसा कानून मेरे समक्ष नहीं आया जो किसी अधिकरण के क्षेत्राधिकार को इस संबंध में समय-समय पर सलाह के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में अपना विचार बदलने से रोकता है। वास्तव में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह था कि पहले प्रारंभिक विवाद्यक को याचिकाकर्ता के खिलाफ तय माना गया। मैं इन कार्यवाही में इस मामले में जाने में असमर्थ हूँ।

(29) उन मामलों के अलावा, जिनका दोनों पक्षों ने उन परिस्थितियों को दिखाने के लिए उल्लेख किया था जिनमें यह न्यायालय आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक औद्योगिक अधिकरण के आदेशों में हस्तक्षेप करता है, एकमात्र अन्य बिंदु, जिस पर डॉ. आनंद प्रकाश ने तर्क दिया था, कि जब उन्होंने निरीक्षण और प्रकटीकरण का दावा करके कथित रूप से गलत तरीके से रखे गए विवाद्यक संख्या 2 के दायित्व से मुक्ति पाना चाहा, तो अधिकरण के आक्षेपित आदेश, जो पहले ही संदर्भित हैं, वास्तव में विवाद्यक का भार उतारने के लिए नियोजक पर बंधन डालने के समान थे। यह विवादित नहीं है कि प्रकटीकरण और निरीक्षण से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 के प्रावधानों को अधिनियम की धारा 11 के तहत औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर स्पष्ट रूप से लागू किया गया है। यह भी सच है कि नियोजक के आवेदन पर अधिकरण द्वारा प्रकटीकरण की अनुमति देने या इनकार करने का कोई निश्चित आदेश पारित नहीं किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकटीकरण के लिए आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों में से तीन

को कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया था जब उन्हें अधिकरण के समक्ष लाया गया था। डॉ. आनंद प्रकाश का कहना है कि उन्हें भी अधिकरण के समक्ष दाखिल नहीं किया गया, बल्कि समिति के प्रतिनिधि द्वारा ले लिया गया। जैसा भी हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण को प्रकटीकरण की अनुमति देने या इनकार करने के लिए उचित आदेश पारित करना चाहिए, यह न केवल आवेदन में उल्लिखित विशिष्ट दस्तावेजों से संबंधित है, बल्कि अधिकरण द्वारा आदेश दिए जाने पर, एक उचित शपथ पत्र, संहिता के आदेश 12 नियम 13 के तहत परिशिष्ट में निर्धारित प्रपत्र V के अनुरूप दायर करके किया जाना चाहिए।। जहां तक निरीक्षण का सवाल है, यह नियोजक पर निर्भर करता है कि यदि ऐसी सलाह दी जाए तो वह समिति के अधिकृत प्रतिनिधि को निरीक्षण की अनुमति देने के लिए उचित नोटिस दे और समिति के आवश्यक कार्य करने में विफल रहने पर समिति के ख़िलाफ़ कानून के अनुसार अधिकरण के समक्ष उचित कार्यवाही करे।

(30) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, डॉ. आनंद प्रकाश ने **मेट्टूर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम द वर्कर्स ऑफ मेट्टूर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1955 (1) एल.एल.जे. 27), पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड बनाम राम कंवर और अन्य (1957 (आई) एल.एल.जे. 542) और गाजी रामअवतार बनाम असारवा मिल्स कंपनी लिमिटेड (1957 (द्वितीय) एल.एल.जे. 87),** का संदर्भ दिया और तर्क दिया कि क्षेत्राधिकार से संबंधित मामलों में इस न्यायालय को सर्टिओरारी के मामले में एक रिट द्वारा हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी ओर, समिति के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. मित्तल ने **करनाल को-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य (1960 के सी.डब्ल्यू. 1630 का निर्णय 20 दिसम्बर, 1960)** मामले में न्यायाधीश बिशन नारायण, के एक असूचित निर्णय पर आश्रय किया, जिसमें इस न्यायालय ने किसी विवाद्यक को प्रारंभिक मानने से इनकार करने वाले औद्योगिक अधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और प्रेक्षित किया की यह विवेक का मामला है कि प्रारंभिक विवाद्यको को पहले तय किया जाना चाहिए या गुणों के साथ और यह मुख्य रूप से अधिकरण का काम है।मुख्य रूप से अधिकरण को इसके विवेक प्रयोग करना होता हैं और अधिकरण ने एक तरह से

विवेक का प्रयोग किया है, इसलिए इस न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसके आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

(31) **श्री आर.एस. मित्तल ने अंत में एन.टी. वेलुस्वामी थेवर बनाम जी. राजा नैनार और अन्य (ए.आई.आर. 1959 एस.सी. 422)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया, लेकिन वह इस याचिका पर निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं लगता है, चूँकि उसमें चुनावी मामलों से संबंधित टिप्पणियाँ की गई थीं। इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से मेरे समक्ष कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया।

(32) उपरोक्त कारणों से मैं इस याचिका को केवल इस हद तक अनुमति देता हूं कि अधिकरण प्रतिवादी नंबर 2 के मांग नोटिस में शामिल किसी भी मामले पर फैसला नहीं देगा, जो सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ में शामिल नहीं हैं, अधिनियम की धारा 10 के तहत और अधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा जो प्रकटीकरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। अन्य सभी राहतों के संबंध में, याचिका खारिज की जाती है; लेकिन यहां कही गई किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मामले पर इस न्यायालय के विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिस पर अधिकरण को पार्टियों के बीच निर्णय देना है। मामले की परिस्थितियों में, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर

प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़